न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 12/2013

श्री गैना पुत्र श्री शकरू जाति मेरात निवासी ग्राम कानाखेडा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कन्हैया वल्द शकरू
2. श्री रमेश वल्द शकरू
3. श्री बीला पुत्री शकरू
4. श्री रोशनी पत्नी शकरू
5. श्री रामा पुत्र बन्ना
6. श्री लाडू पुत्र रोडा अब मृतक उसके वारिसान दीना वल्द लाडू
7. श्री निजाम वल्द पन्ना अब मृतक उसके वारिसान वैजल, भंवरू पुत्रान निजाम, मुमी पत्नी निजाम समस्त जाति मेरात निवासी ग्राम कानाखेडा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा।

—— अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

:— निर्णय :— दिनांक 21.06.2016

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम कानाखेडा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 1763 रकबा 00—18—00 बिस्वा में प्रार्थी सहखातेदार है तथा खसरा न0 1769 रकबा 00—08—00 बिस्वा उसकी तन्हा खातेदारी की भूमि है। जिसकी सीमा को लेकर प्रार्थी एव अप्रार्थी सं0 7 के मध्य विवाद होता रहता है। अप्रार्थी सं0 7 अब फोत हो गया है और उसके वारिसान वैजल, भंवरू पुत्र निजाम, मुमी पत्नी निजाम है। प्रश्नगत अराजी का सीमांकन कराने हेतु आवेदन किया लेकिन मौके पर पटवारी के सीमांकन से दिनांक 02.05.2013 को अप्रार्थीगण संतुष्ट नहीं हुए अतः यह प्रार्थना पत्र लाना पडा है।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प कानाखेडा पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1,2 व 4 उपस्थित आये। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खसरा न0 1763 में सहखातेदार है तथा खसरा न0 1769 उसकी तन्हा खातेदारी की भूमि है। उपस्थित अप्रार्थीगण भी खसरा न0 1769 की पत्थरगढी किये जाने से सहमत है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार मसूदा को रु. 1500/— कमीशन पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रश्नगत अराजी खसरा न0 1769 रकबा 00—08—00 बिस्वा ग्राम कानाखेडा का मौके पर सीमांकन कर पत्थरगढी करावें।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम कानाखेडा पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.01.01 16:02:46 IST
Reason: SelfAttested